पत्रांक - वि.प.अ.प्र.-238/2015- 100 (1)वि.प.

# बिहार विधान परिषद् सचिवालय

प्रेषक – श्री ध्रुव नारायण पाठक
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

सेवा में,

श्री संजय कुमार सिंह, सदस्य, बिहार विधान परिषद्
श्री नरेन्द्र सिंह
श्री नीतीश कुमार, नेता, जनता दल (यूनाईटेड) विधायक दल, बिहार विधान परिषद्

पटना, दिनांक 14-1-2016

विषय : **माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह की सदस्यता से निरर्हरित करने से संबंधित याचिका पर माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् द्वारा दिए गए लिखित आदेश की प्रति का प्रेषण।**

महोदय,

बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के नियम 8(1)(ख) के आलोक में उपर्युक्त विषय से संबंधित माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश की प्रति संलग्न की जाती है।

संलग्नक- यथोक्त

विश्वासभाजन,
14/1/16
( ध्रुव नारायण पाठक)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

**भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के प्रावधान के आलोक में माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल की याचिका दिनांक 2-11-2015 के आलोक में माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हित किए जाने संबंधी वाद पर न्याय निर्णय**

दिनांक 14-1-2016

इस वाद का आरंभ श्री संजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद्, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक 2-11-2015 के आधार पर किया गया। श्री संजय कुमार सिंह को आवेदन समर्पित करने हेतु श्री नीतीश कुमार, नेता, जनता दल (यू) के द्वारा अधिकृत किया गया है।

दिनांक 6-1-2016 को सुनवाई समाप्त होने के उपरान्त आदेश के ऑपरेटिव पार्ट की उद्घोषणा करते हुए उन्हें बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निर्हरित घोषित किया गया है एवं यह भी स्पष्ट किया गया है कि विस्तृत सकारण आदेश दिनांक 14-1-2016 को पारित किया जाएगा।

श्री संजय कुमार सिंह ने अपने आवेदन में यह कहा है कि श्री नरेन्द्र सिंह, माननीय सदस्य, जनता दल (यू) के उम्मीदवार के रूप में बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उनका वर्तमान कार्यकाल दिनांक 6-5-2018 को समाप्त हो रहा है। जनता दल (यू) के सदस्य रहते हुए उन्होंने एक नए राजनीतिक दल हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा (सेक्युलर) ( इस आदेश में 'हम' के नाम से दिखलाया जाएगा) की स्थापना से लेकर गत् बिहार विधान सभा चुनाव में 'हम' के पक्ष में एवं जनता दल (यू) के विपक्ष में सक्रिय रूप से कार्य किए हैं। उन्होंने 'हम' के नेता के रूप में गत् विधान सभा चुनाव में विभिन्न सभाओं, रैलियों इत्यादि में भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विभिन्न दलों का गठबंधन जिसे आम तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नाम से जाना जाता है, में 'हम' भी शामिल था। हम के साथ श्री नरेन्द्र सिंह का जुड़ना एवं सक्रिय रूप से कार्य करना इस बात का सपष्ट प्रमाण है कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल जनता दल (यू) की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग कर दिया। इन तथ्यों के आधार पर श्री संजय कुमार सिंह ने संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) में विहित प्रावधानों के आलोक में श्री नरेन्द्र सिंह को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निर्हरित करने का अनुरोध किया है।

श्री संजय कुमार सिंह के आवेदन का संज्ञान लेते हुए श्री नरेन्द्र सिंह को दिनांक 3-11-2015 को नोटिस प्राप्त कराया गया। वाद की सुनवाई हेतु पक्षकारों को दिनांक 19-11-2015, 24-11-2015, 5-12-2015, 14-12-2015, 23-12-2015, 4-1-2016 एवं 6-1-2016 को अवसर उपलब्ध कराया गया।

आरंभ की सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर श्री नरेन्द्र सिंह ने अपना उत्तर समर्पित नहीं कर किसी न किसी कारण से समय का अनुरोध किया जिसे स्वीकार किया गया। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस वाद में सुनवाई की तिथि दिनांक 5-12-2015 को निर्धारित किया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि इस वाद में और अधिक समय दिया जाना उपयुक्त और न्यायोचित नहीं होगा और अगर माननीय सदस्य अपना लिखित उत्तर समर्पित नहीं करते हैं तब उपलब्ध कागजातों एवं सुनवाई के उपरान्त वाद का निष्पादन किया जाएगा। इसके बाद दिनांक 14-12-2015 को सुनवाई हुई और तदोपरान्त दिनांक 23-12-2015 को श्री नरेन्द्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.बी.के.मंगलम ने एक आवेदन द्वारा वर्तमान वाद की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। उक्त आवेदन में मुख्य रूप से यह कहा गया कि श्री संजय कुमार सिंह का आवेदन भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची एवं बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के उपबन्धों के नियम 6 एवं 7 के अनुरूप नहीं है। श्री संजय कुमार सिंह का आवेदन न तो शपथ पर समर्पित है और न ही दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुरूप सत्यापित है।

श्री संजय कुमार सिंह के विद्वान परामर्शी श्री पी.के.शाही ने श्री मंगलम द्वारा समर्पित प्रारंभिक आपत्ति को निर्मूल एवं निराधार बतलाया और यह कहा कि इस प्रकार की आपत्ति का उद्देश्य सुनवाई को टालने के लिए किया गया है। उनका यह कहना है कि जिन विन्दुओं की चर्चा श्री मंगलम ने की है, उसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रवि एस.नायक एवं डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह के मामले में विस्तृत व्याख्या की है। श्री पी.के.शाही ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया जो निम्न प्रकार है :

पृष्ठ-111, पाराग्राफ-16 में वर्णित है: 16. Sub-Rule (1) of Rules 6 says that no reference of any question as to whether a member has become subject to disqualification under the Tenth Schedule shall be made except by a petition in relation to such member made in accordance with the provisions of the said Rule and Sub-rule (6) of the same Rule

provides that every petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure for the verification of pleadings. The heading of Rule 7 is 'PROCEDURE'. Sub-Rule (1) of this Rule says that on receipt of petition under Rule 6, the Chairman shall consider whether the petition complies with the requirement of the said Rule and sub-Rule (2) says that if the petition does not comply with the requirement of Rule 6, the Chairman shall dismiss the petition. These rules have been framed by the Chairman in exercise of power conferred by paragraph 8 of Tenth Schedule. The purpose and object of the Rules is to facilitate the job of the Chairman in discharging his duties and responsibilities conferred upon him by paragraph 6, namely, for resolving any dispute as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Tenth Schedule. The Rule being in the domain of procedure, are intended to facilitate the holding of inquiry and not to frustrate or obstruct the same by introduction of innumerable technicalities. Being subordinate legislation, the Rules cannot make any provision which may have the effect of curtailing the content and scope of the substantive provision, namely, the Tenth Schedule. There is no provision in the Tenth Schedule to the effect that until a petition which is signed and verified in the manner laid down in the CPC for verification of pleadings is made to the Chairman or the Speaker of the House, he will not get the jurisdiction to give a decision as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Schedule. Paragraph 6 of the Schedule does not contemplate moving of a formal petition by any person for assumption of jurisdiction by the Chairman or the Speaker of the House. The purpose of Rules 6 and 7 is only this much that the necessary facts on account of which a member of the House becomes disqualified for being a member of the House under paragraph 2, may be brought to the notice of the Chairman. There is no lis between the person moving the petition and the member of the House who is alleged to have incurred a disqualification. It is not an adversarial kind of litigation where he may be

required to lead evidence. Even if he withdraws the petition it will make no difference as the duty is cast upon the Chairman or the Speaker to carry out the mandate of the Constitutional provision, viz. the Tenth Schedule. The object of Rules 6 which requires that every petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the CP/C for the verification of pleadings, is that frivolous petitions making false allegations may not be filed in order to cause harassment. It is not possible to give strict interpretation of Rules 6 and 7 otherwise the very object of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act by which Tenth Schedule was added would be defeated. A defaulting legislator, who has otherwise incurred the disqualification under paragraph 2, would be able to get away by taking the advantage of even a slight or insignificant error in the petition and thereby asking the Chairman to dismiss the petition under sub-rule (2) of Rule 7. The validity of the Rules can be sustained only if they are held to be directory in nature as otherwise, on strict interpretation, they would be rendered ultra vires.

श्री शाही ने यह भी बतलाया कि हाल में ही डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह के मामले में श्री मंगलम ने इसी प्रकार की आपत्ति की थी, जिसे अस्वीकृत किया गया है।

दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त श्री मंगलम द्वारा प्रारंभिक आपत्ति का निस्तारण आदेश दिनांक 23-12-2015 द्वारा दिया जा चुका है। उक्त आदेश में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि दिनांक 4-1-2016 तक वाद के गुण दोष पर अपना उत्तर अवश्य समर्पित करें और मामले की सुनवाई के लिए दिनांक 4-1-2016 की तिथि निर्धारित की गई। दिनांक 4-1-2016 को श्री मंगलम ने अपना लिखित उत्तर समर्पित किया।

श्री मंगलम द्वारा समर्पित लिखित उत्तर में मूलत: यह कहा गया है कि श्री नरेन्द्र सिंह 'हम' के सदस्य नहीं हैं। श्री संजय कुमार सिंह के आवेदन के साथ जो अनुलग्नक है उनमें न तो अखबार का नाम दिया गया है और न प्रकाशन की तिथि दी गई है और न ही छायाप्रति के साथ मूल का कोई स्पष्ट विवरण अंकित है। उनके द्वारा यह

भी कहा गया है कि श्री नरेन्द्र सिंह का नाम बिहार की राजनीति में ज्ञात है एवं उनकी तस्वीरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और उसका उपयोग कोई भी कर सकता है। जहां तक राजग के पक्ष में प्रचार करने का विज्ञापन का प्रश्न है उसके बारे में भी यह बात कही गई है कि विज्ञापन प्रकाशन का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त अपने उत्तर में बचाव के संबंध में जो तथ्य उल्लिखित हैं उनके समर्थन में मौखिक साक्ष्य देने की बात भी कही गई है।

श्री नरेन्द्र सिंह के उत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वाद के निष्पादन को विलंबित करना ही उनका ध्येय है। पूर्व में उन्होंने अपना लिखित उत्तर समर्पित नहीं किया। जब यह स्पष्ट किया गया कि अब आगे समय देना संभव नहीं होगा तब उन्होंने एक निर्मूल प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की। जब प्रारंभिक आपत्ति का निष्पादन कर दिया गया तब अनावश्यक विलंब को ध्यान में रखते हुए एक अधूरा सा उत्तर समर्पित किया है।

विद्वान परामर्शी श्री पी.के.शाही ने यह कहा कि श्री नरेन्द्र सिंह के लिखित उत्तर के जवाब में उन्हें लिखित रूप में कुछ नहीं कहना है। उन्होंने यह कहा कि पूरे चुनाव के दौरान श्री नरेन्द्र सिंह की भूमिका सार्वजनिक रूप से ज्ञात है। यह पूरे राज्य को मालूम है कि श्री नरेन्द्र सिंह के दो पुत्र राजग गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता दल (यू) विधान मंडल दल ने जब श्री जीतन राम मांझी को नेता पद से अपदस्थ किया, उस समय से लगातार श्री नरेन्द्र सिंह के कृत्य एवं आचरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उन्हें अपने मूल राजनीतिक दल में न तो विश्वास है और न ही आस्था बची है। चुनाव की घोषणा के पूर्व ही श्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में एक नए राजनीतिक दल का अभ्युदय हुआ और उस दल के साथ जनता दल (यू) के कई नेता, उदाहरण के तौर पर डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह, श्री वृशिण पटेल, श्री शाहिद अली खान, श्री राहुल कुमार, श्री अजीत कुमार, डॉ0 अनिल कुमार, श्री राजू सिंह इत्यादि 'हम' से जुड़ गए। श्री नरेन्द्र सिंह सक्रिय रूप से 'हम' के साथ जुड़े और पूरे विधान सभा चुनाव के दौरान उन्होंने 'हम' एवं राजग के पक्ष में सार्वजनिक तौर पर कार्य किया। विभिन्न रैलियों, सभाओं में श्री नरेन्द्र सिंह ने भाग लिया जिसे इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया। श्री शाही ने यह कहा कि भारत की राजनीति में मर्यादाओं एवं नैतिक मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है और इसके लिए कुछ ही लोग जिम्मेवार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्री नरेन्द्र सिंह को स्वयं बिहार विधान परिषद् की सदस्यता त्याग देनी चाहिए जैसा कि अन्य दो सदस्य श्री भीम सिंह एवं श्री मंजर आलम ने किया है। श्री शाही ने यह भी कहा कि इसी प्रकार जनता दल (यू) का सदस्य रहते हुए डॉ0 महाचन्द्र

प्रसाद सिंह 'हम' से जुड़े एवं 'हम' के उम्मीदवार बनकर गत् विधान सभा में चुनाव लड़े। डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह को निर्हरित घोषित किया जा चुका है। श्री नरेन्द्र सिंह का मामला एक प्रकार से समान है, अंतर इतना ही है कि वह स्वयं चुनाव नहीं लड़े। परन्तु अन्य गतिविधियां डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह के समान रही है।

यह उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूँ कि संविधान की दसवीं अनुसूची में निर्हरता के लिए जब कोई कार्रवाई की जाती है तब सभापति का यह कर्त्तव्य है कि वह पूर्णतया संतुष्ट हो कि निर्हरता के यथेष्ट एवं समुचित आधार हैं अथवा नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत के निर्वाचन आयोग से यह सूचना प्राप्त करने का निर्देश मैंने अपने परिषद् सचिवालय को दिया कि वहां कोई ऐसा दस्तावेज उपलब्ध है जिससे आवेदन के पक्ष अथवा विपक्ष के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके। भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त कागजात से यह प्रमाण प्राप्त होता है कि लिखित रूप में भारत के निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों से अपने स्टार प्रचारकों की अनुमति मांगी है और 'हम' ने लिखित रूप से निर्वाचन आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध कराई है। उक्त लिखित अनुरोध पत्र 'हम' के उपाध्यक्ष श्री भागवत लाल वैश्यंत्री द्वारा समर्पित किया गया है और उक्त लिखित अनुरोध में श्री नरेन्द्र सिंह का नाम उल्लिखित है। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न पंजीकृत राजनीतिक दलों के नेताओं के स्टार प्रचारकों की अनुमति दी जाती है। प्राय: सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग को अपने दल के नेताओं की सूची समर्पित करते हैं एवं निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों द्वारा समर्पित सूची के आधार पर स्टार प्रचारक की मान्यता देते हुए उनके द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति देता है। निर्वाचन आयोग ऐसे स्टार प्रचारकों के भ्रमण की सुविधा के लिए एवं प्रचार में भाग लेने के लिए पास भी निर्गत करता है।

न्याय हित में मैंने यह उपयुक्त समझा कि मंगलम की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए सभी उपलब्ध साक्ष्य श्री नरेन्द्र सिंह को पुन: उपलब्ध कराया जाए। अतएव मैंने श्री संजय कुमार सिंह को यह निर्देश दिया कि वह समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों एवं विज्ञापनों की मूल प्रतियों की छायाप्रति दिनांक 5-1-2016 को 1.00 बजे अपराह्न के पूर्व उपलब्ध करा देंगे। भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त कागजात को भी उपलब्ध कराने का निदेश परिषद् सचिवालय को दिया गया। परिषद् सचिवालय द्वारा सभी कागजात श्री मंगलम को उपलब्ध करा दिया गया।

दिनांक 6-1-2016 को सुनवाई के पूर्व श्री मंगलम ने पुन: लिखित उत्तर समर्पित किया। श्री मंगलम ने निर्वाचन आयोग के दस्तावेज के संबंध में यह आपत्ति की है कि यह कागजात श्री संजय कुमार सिंह के आवेदन के साथ संलग्न नहीं है और सभापति को इस प्रकार के कागजात प्राप्त करने का कानून में अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं श्री मंगलम के इस दलील को निरर्थक मानता हूँ। न्याय हित में सभापति को संतुष्ट होना है कि निर्हरता का आधार यथेष्ट एवं समुचित है अथवा नहीं और इसको ध्यान में रखते हुए भारत के निर्वाचन आयोग में उपलब्ध कागजात जो कि पब्लिक डॉक्युमेंट्स है, प्राप्त किया जाना किसी भी पहलू से अवैध एवं अधिकार रहित नहीं कहा जा सकता है। श्री मंगलम ने यह भी कहा है कि स्टार प्रचारक बनने हेतु श्री नरेन्द्र सिंह का कोई लिखित सहमति नहीं दिया गया है। इस प्रकार के तर्क को क्षण भर के लिए भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। अगर श्री नरेन्द्र सिंह 'हम' में नहीं थे तब उनका नाम 'हम' की तरफ से अनायास ही दिया जाना समझ से परे है। कोई भी राजनीतिक दल अपने दल के ही नेताओं को स्टार प्रचारक बनाता है, न कि दूसरे दल के नेता को।

दिनांक 6-1-2016 को सुनवाई के क्रम में श्री मंगलम ने अपने दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही। उन्होंने और समय का अनुरोध किया जिसे स्वीकार करना उपयुक्त नहीं पाया गया।

विद्वान परामर्शी श्री शाही ने माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्याय निर्णयों, डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद्, 2005(1), P.L.J.R.(SC) 102 एवं रवि एस. नायक बनाम भारत सरकार 1994 Supp.(2) SCC 641 एवं राजेन्द्र सिंह राणा (2007) 4 SCC 270 का हवाला दिया है।

श्री शाही ने यह कहा है कि रवि एस. नायक के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) में यह आवश्यक नहीं है कि कोई सदस्य अपने मूल राजनीतिक दल का लिखित रूप से या उद्घोषित रूप से त्याग करे। कोई व्यक्ति अपने कृत्य, आचरण एवं व्यवहार से अपना मूल राजनीतिक दल का त्याग कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी एक राजनीतिक दल का ही सदस्य हो सकता है। श्री नरेन्द्र सिंह जनता दल (यू) का सदस्य रहते हुए एक दूसरे राजनीतिक दल 'हम' से नहीं जुड़ सकते थे। हम के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल का स्वेच्छया परित्याग कर दिया है। श्री शाही ने यह कहा कि गत बिहार विधान सभा चुनाव

में श्री नरेन्द्र सिंह की भूमिका पूरे राज्य में सार्वजनिक रूप से ज्ञात है और इसके लिए अलग से कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अव्वल तो श्री नरेन्द्र सिंह की यह राजनीतिक मर्यादा होनी चाहिए कि वह सदन की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग कर दें। सदस्यता का परित्याग कौन कहे, वह तो इस वाद में आधारहीन एवं निरर्थक तथ्यों के साथ अपना बचाव करने में लगे हैं। उन जैसे व्यक्तियों के कृत्य, आचरण और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए ही संविधान के दसवीं अनुसूची में अनुच्छेद 2(1)(क) समावेशित किया गया है। श्री शाही ने आगे यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग के दस्तावेज इस बात के अकाट्य प्रमाण हैं कि श्री नरेन्द्र सिंह 'हम' के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं। मात्र दल के संस्थापक सदस्य अथवा सदस्य होने का कागजी प्रमाण उपलब्ध नहीं रहने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री नरेन्द्र सिंह 'हम' के साथ नहीं जुड़े थे। अगर वह 'हम' के नेता नहीं होते तो उनका नाम स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया जाता। श्री शाही ने यह भी कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में राजग द्वारा पूरे चुनाव में प्राय: प्रतिदिन अपने विभिन्न घटक दल के नेताओं की सभाओं, रैलियों की जानकारी सार्वजनिक रूप में जारी की गई थी एवं प्रकाशित विज्ञापनों में श्री नरेन्द्र सिंह का फोटोयुक्त नाम भी प्रकाशित रहता था। अपने दावे के समर्थन में श्री शाही ने ऐसा ही दृष्टान्त का साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसमें श्री नरेन्द्र सिंह सहित राजग के विभिन्न घटक दलों के नेताओं का विस्तृत चुनावी कार्यक्रम प्रकाशित है। अगर श्री नरेन्द्र सिंह 'हम' के स्टार प्रचारक नहीं थे तो उन्हें आपत्ति करनी चाहिए थी या इस प्रकार के विज्ञापन में अपनी उपस्थिति का खंडन करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

श्री शाही ने अपनी दलील में यह भी कहा कि डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह केस का मामला इसी राज्य का है जिसमें कांग्रेस का सदस्य रहते हुए वह लोक सभा का चुनाव लड़े थे और उन्हें इसी सदन से निर्हरित घोषित किया गया था। उक्त वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके निर्हरन की कार्रवाई को संविधान सम्मत ठहराया है। इस आधार पर श्री शाही ने कहा कि अपने मूल राजनीतिक दल के अलावा किसी दल अथवा बिना किसी दल के चुनाव लड़ना अथवा ऐसे किसी दल के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना एक समान कृत्य है और इस प्रकार के कृत्य निश्चित तौर पर ऐसे सदस्य को सदन की सदस्यता से निर्हरित करने के यथेष्ट एवं समुचित आधार होगा। श्री शाही राजेन्द्र सिंह राणा के फैसले पर भी मेरा ध्यान आकृष्ट कराया है।

इसके विपरीत श्री मंगलम ने जहां पुन: समय का अनुरोध किया वहीं दूसरी तरफ यह कहा कि इस वाद में उनके मुवक्किल के विरुद्ध कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उनकी विश्वसनीयता स्वीकारने योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री नरेन्द्र सिंह के द्वारा जिन सभाओं/रैलियों अथवा चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने के समाचार प्रकाशित हुए हैं और जो साक्ष्य समर्पित की गई है, इसका सोर्स ज्ञात नहीं है और न ही पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराई गई है। श्री मंगलम ने आगे यह कहा कि निर्वाचन आयोग में उपलब्ध कागजातों का प्रयोग इस वाद में नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह श्री संजय कुमार सिंह के आवेदन में उल्लिखित नहीं है और न ही उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

संविधान की दसवीं अनुसूची में प्राप्त आवेदनों की सुनवाई एवं निर्णय में कानून की तकनीकियां बाधा नहीं बन सकती है। मात्र इस बात का ध्यान रखना है कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर मिले एवं निर्णय ऐसे तथ्यों पर आधारित हो जो relevent हों एवं irrelevent तथ्यों पर विचारण नहीं किया गया हो। इसके अतिरिक्त अन्य तकनीकी आधार उदाहरणस्वरूप, साक्ष्य संहिता का पालन, दीवानी प्रक्रिया संहिता का पालन इत्यादि इस न्यायाधिकरण के लिए उस ढंग से आवश्यक नहीं है जिस ढंग से उसका प्रयोग सक्षम दीवानी न्यायालयों द्वारा किया जाता है।

इस वाद में नैसर्गिक न्याय का पालन किया गया है। पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। निर्णय के पक्ष और विपक्ष में उपलब्ध साक्ष्य पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया।

संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) के अंतर्गत सदन का कोई सदस्य वस्तुत: अपने मूल राजनीतिक दल के परित्याग की तिथि से ही निर्हरित माना गया है। सभापति अथवा अध्यक्ष को इस अवधारणा के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत जिनका उल्लेख मैंने ऊपर किया है, का अनुसरण करते हुए वाद का निष्पादन किए जाने के अधिकार प्राप्त हैं। इस वाद में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे यह निर्विवाद एवं अकाट्य रूप से स्थापित है कि श्री नरेन्द्र सिंह जनता दल (यू) के सदस्य के रूप में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल दिनांक 6-5-2018 को समाप्त हो रहा है। जनता दल (यू) का सदस्य रहते हुए उन्होंने एक नए राजनीतिक दल 'हम' के साथ अपने को सक्रिय रूप से जोड़ा। श्री नरेन्द्र सिंह ने गत विधान सभा चुनाव के पूर्व एवं पूरे चुनाव के दरम्यान 'हम' की विभिन्न बैठकों, चुनावी सभाओं/रैलियों इत्यादि में भाग लिया। श्री

नरेन्द्र सिंह देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की चुनावी सभाओं में भी उपस्थित देखे गए। उन्होंने 'हम' के स्टार प्रचारक के रूप में कार्य किया। 'हम' के स्टार प्रचारक के रूप में श्री नरेन्द्र सिंह को चुनाव आयोग ने मान्यता दी और इस प्रकार एक नहीं अनेकानेक ऐसे अवसर जिसमें श्री नरेन्द्र सिंह ने सक्रियता से 'हम' के साथ कार्य किया। उनका यह कहना कि वह 'हम' के सदस्य नहीं हैं और उसके कोई दस्तावेजी सबूत नहीं उपलब्ध हैं, स्वीकार करने योग्य नहीं है। उनका यह कहना कि निर्वाचन आयोग के कागजात को आधार इसलिए नहीं बनाया जा सकता है कि वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं है और न ही उनके आवेदन का अंग है, वस्तुतः निरर्थक एवं आधारहीन दलील है। भारतीय प्रजातंत्र की अवधारणा दलीय व्यवस्था पर आधारित है। देश अथवा राज्य के स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दल को चुनाव आयोग पंजीकृत करता है एवं मान्यता प्रदान करता है। ऐसे दल राष्ट्रीय भी हो सकते हैं और क्षेत्रीय भी हो सकते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना संविधान होता है एवं उनके कुछ अपने सिद्धांत होते हैं। राजनीतिक दल के अपने नेता एवं कार्यकर्त्ता होते हैं। अपने निजी स्वार्थों एवं हितों के कारण दल विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची का समावेश किया गया है। दसवीं अनुसूची के विभिन्न कंडिका में किसी सदन के सदस्य को निर्हरित किए जाने को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। कंडिका 2(1)(क) निर्हरता की एक अलग श्रेणी है जिसमें कोई सदस्य अगर अपने मूल राजनीतिक दल का लिखित अथवा अघोषित परित्याग करता है तो वैसी स्थिति में वह तत्समय धारित सदन की सदस्यता से निर्हरित हो जाएगा।

मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत रवि एस.नायक एवं डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह एवं राजेन्द्र सिंह के फैसलों का सूक्ष्म अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो व्याख्या की गई है उससे यह स्पष्ट है कि यह कतई आवश्यक नहीं है कि किसी सदस्य को तभी निर्हरित घोषित किया जा सकता है जब वह लिखित रूप से अपने मूल राजनीतिक दल का त्याग करे। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यह साबित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि नए राजनीतिक दल की सदस्यता का दस्तावेजी सबूत होना आवश्यक है। इस प्रकार के दृष्टांत और साक्ष्य जिनसे संकेत मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता का परित्याग कर दिया है तो वैसी स्थिति में वह इस तरह से धारित सदन की सदस्यता से निर्हरित हो जाएगा। वर्तमान वाद में श्री नरेन्द्र सिंह का यह कहना कि उन्होंने 'हम' की सदस्यता नहीं ग्रहण की अथवा निर्वाचन आयोग में जो साक्ष्य है वह उन्हें 'हम' का सदस्य होने का प्रमाण नहीं है, अपने आप में हास्यास्पद है। श्री नरेन्द्र सिंह इस राज्य की राजनीति में एक वरिष्ठ एवं कद्दावर नेता हैं। राजनीति की मर्यादा

को ध्यान में रखते हुए उन्हें तो इस वाद में अपना बचाव ही नहीं करना चाहिए था और श्रेयस्कर होता यदि वह सदन की सदस्यता त्याग देते। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उलटे गत् छह महीने की अपनी सार्वजनिक सक्रिय भूमिका पर ही प्रश्न चिह्न खड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार की दलील स्वीकार करने से संविधान की दसवीं अनुसूची की आत्मा ही समाप्त हो जाएगी। दसवीं अनुसूची में इस प्रकार के राजनीतिक नेताओं को संरक्षण देना संविधान के साथ क्रूर मजाक बन जाएगा। उपरोक्त के आलोक में सभी तथ्यों पर विचार करने, संबंधित पक्षकारों की दलीलें सुनने और विशेषकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयों में उदघोषित व्याख्या को ध्यान में रखते हुए श्री नरेन्द्र सिंह को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निर्हरित घोषित किए जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतएव श्री संजय कुमार सिंह के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है एवं श्री नरेन्द्र सिंह के दावे को खारिज किया जाता है।

श्री नरेन्द्र सिंह का इस प्रकार का कृत्य, आचरण एवं व्यवहार यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल, जनता दल(यू) का स्वेच्छया परित्याग दिया है। अतएव, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची एवं बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्री नरेन्द्र सिंह को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से दिनांक 6-1-2016 के प्रभाव से निरर्हित घोषित करता हूँ।

अवधेश ना. सिंह 14.1.16.

(अवधेश नारायण सिंह)

सभापति

बिहार विधान परिषद्